उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

संख्या–क0 नि0–5–५०३१ /11–2005–500(104)–2004

लखनऊ, 19 दिसम्बर, 2008

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, और अधिसूचना संख्या–क0नि0–5–2707 / 11–2005–500 (104) / 2004 दिनांक 15 जुलाई,2005 का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारो सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–30 सन 1974) द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन 1973) की धारा 29 के अधीन गठित विकास प्राधिकरणों द्वारा या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1966) के अधीन गठित और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा या उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1976) के अधीन गठित किसी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा या कम्पनी अधिनियम 1956 (अधिनियम संख्या 1 सन 1956) के अधीन गठित और औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा 100 प्रतिशत दृष्टिहीन / विकलांग व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित किसी भवन या भूखण्ड के अन्तरण के लिये हस्तान्तरण की लिखत या पट्टा धृत अधिकारों का पूर्ण स्वामित्व अधिकारों की समपरिवर्तन की लिखत पर अनुच्छेद–23 के (खण्ड क) के अधीन प्रभार्य या अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा की लिखत पर आवंटिती दस लाख रूपये के मूल्य तक की अचल सम्पत्ति पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को माफ करते है। यदि ऐसी अचल सम्पत्ति का मूल्य दस लाख रूपये से अधिक हो तो आवंटिती को ऐसी अचल सम्पत्ति के उस मूल्य पर जो दस लाख से अधिक हो, तीन प्रतिशत स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा।

परन्तु यह कि यदि आवंटिती दस वर्ष के भीतर 100% दृष्टिहीन / विकलांग व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को आवंटिती सम्पत्ति का अन्तरण करता है तो क्रेता को प्रथम लिखत पर सन्देय पूर्ण स्टाम्प शुल्क का भी भुगतान करना होगा।

स्पष्टीकरणः– इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दृष्टिहीनता / विकलांगता प्रमाण पत्र का परिशीलन कर सकता है। दृष्टिहीनता / विकलांगता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में सन्देह की स्थिति में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये मूल प्रमाण पत्र को मांग सकता है ,और द परसन्ना विद

डिसएबिल्टीज (इक्वल अपारच्यूनिटीज, पोटेक्शन आफ राइट्स एण्ड फुल पार्टीसिपेशन) एक्ट 1995 (एक्ट नम्बर 1 आफ 1996) के अधीन उत्तर प्रदेश, सरकार द्वारा जारी अद्यतन शासनादेशों के अधीन उसका परीक्षण कर सकता है।

आज्ञा से,

देश दीपक वर्मा
प्रमुख सचिव।

संख्या–क0नि0–5 ५८३/11–2008 लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर, 2008

प्रतिलिपिः अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनांक दिसम्बर, 2008 व असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग–4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें औ तत्पश्चात गजट की दो सौ प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय एवं एक सौ प्रतियां शासन के वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–क0नि0–5 ५८३/11–2008 लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर, 2008

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, एवं आयुक्त औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0 शासन।
6– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य औद्योगिक विकास निगम उ0प्र0।
7– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8– महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10– समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
11– समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
12– विधायी अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।